संख्या:- 08/78-आई.टी.-2-2001

प्रेषक,

ओ.एन. वैद
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उ0प्र0 शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 — लखनऊ: दिनाँक: 12 सितम्बर, 2001

विषय: कम्प्यूटर क्रय प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

शासनादेश सं0 1056/78-आई.टी.-2001-25आई.टी./2001 दिनाँक 01.08.2001 को समाहित करते हुए उसमें वर्णित कम्प्यूटर क्रय प्रक्रिया को निम्नवत स्पष्ट करने का मुझे निदेश हुआ है:-

2. कम्प्यूटर क्रय करने के लिए संबंधित विभाग / सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, निकायों, परिषदों, स्वायत्तशासी निकायों के पास निम्न तीन विकल्प होंगे-

(क) वह क्रय प्रक्रिया अपने स्तर पर आयोजित करे
(ख) वह यूपीडेस्को, यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन या निक्सी को क्रय आदेश दें।
(ग) वह संबंधित जिले के जिलाधिकारी को क्रय हेतु अधिकृत करें।

3. संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा यदि शासन स्तर पर स्वयं कम्प्यूटर क्रय किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो विभागीय क्रय समिति निम्न प्रकार से होगी:-

1. प्रशासनिक विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव - अध्यक्ष
2. आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रतिनिधि
3. वित्त विभाग के प्रतिनिधि
4. यूपीडेस्को अथवा यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन द्वारा नामित विशेषज्ञ।
5. सचिव, औद्योगिक विकास (प्रभारी, स्टोर परचेज) या उनके प्रतिनिधि
6. स्टेट इन्फार्मेटिक्स आफीसर, एन.आई.सी. या प्रतिनिधि

4. यदि प्रशासनिक विभाग उचित समझे तो क्रय विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी कराया जा सकेगा। ऐसी दशा में क्रय समिति निम्नवत होगी:-

- अध्यक्ष

1). विभागाध्यक्ष
2). विभाग के वित्त नियन्त्रक / विभाग में वित्त एवं लेखा प्रभाग के प्रमुख
3). विभाग में कार्यरत राज्य स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ
4). यूपीडेस्को अथवा यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन द्वारा नामित विशेषज्ञ
5). स्टेट इन्फार्मेटिक्स आफीसर, एन.आई.सी. के प्रतिनिधि

5. राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संगठनों यथा सार्वजनिक उपक्रमों , निगमों , निकायों, परिषदों, स्वायत्तशासी निकायों द्वारा कम्प्यूटर क्रय स्वयं किये जाने की दशा में क्रय समिति निम्नवत होगी :-

1) संबंधित संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2) संगठन के वित्त एवं लेखा विभाग के प्रमुख
3) संगठन के तकनीकी प्रभाग के प्रमुख
4) संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित 2 बाह्य विशेषज्ञ
5) एन.आई.सी. के स्थानीय प्रतिनिधि

6. विभागों के शासन अथवा विभागाध्यक्ष / सार्वजनिक उपक्रमों , निगमों , निकायों , परिषदों, स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तर के संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को भी कम्प्यूटर क्रय हेतु अधिकृत किया जा सकता है। इस हेतु क्रय समिति निम्नवत होगी:-

- अध्यक्ष

1. संबंधित जिलाधिकारी
2. संबंधित जिले के मुख्य विकास अधिकारी
3. संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (राजस्व विभाग के मामले में जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई अपर जिलाधिकारी)
4. जिले में तैनात कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी
5. जिला सूचना अधिकारी, एन.आई.सी.
6. बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ (जिलाधिकारी के विवेकानुसार)

यह जिलाधिकारी का विवेक होगा कि वह क्रय उपरोक्तानुसार समिति से कराये अथवा वे यूपीडेस्को, यू.पी.एल.सी. अथवा निवसी को क्रय आदेश दे सकेंगे।

7. जिन मामलों में क्रय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिला अथवा मण्डल स्तर पर दी जाती है, उनमें संबंधित जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रस्तर-6 की व्यवस्था के अनुसार कम्प्यूटर क्रय किया जा सकेगा। सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि एवं इनके अनुरूप अन्य निधियों के अन्तर्गत होने वाले कम्प्यूटर क्रय भी इस प्राविधान से आच्छादित होंगे।

8. एक वर्ष में रू0 10.00 लाख तक की सीमा के कम्प्यूटर क्रय करने के लिए शासन के समस्त प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्ष / सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी / अन्य शासकीय संगठन / जिलाधिकारी शासन के आई. टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा अनुमोदित पैनल में कम से कम तीन आपूर्तिकर्ताओं जो कि अलग-अलग ओरिजनल एक्विपमेन्ट मैनुफैक्चरर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि हों, से कोटेशन माँग कर क्रय आदेश जारी कर सकेंगे। शासन के आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा यथाशीघ्र उपरोक्तानुसार अनुमोदित पैनल सभी विभागों को उपलब्ध करा दिया जायेगा और उसमें यथासमय यथावांछित संशोधन किये जाते रहेंगे।

9. कम्प्यूटर क्रय स्टोर परचेज रूल्स के सामान्य प्राविधानों व समय-समय पर जारी निविदा एवं अनुबन्ध प्रणाली से सम्बन्धित सामान्य निर्देशों के अनुरूप तथा निम्नलिखित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा:-

(क) केवल ब्राण्डेड / ओरिजनल एक्विपमेन्ट मैनुफैक्चरर अथवा उनके अधिकृत डीलर / विक्रेता से ही कम्प्यूटर क्रय किया जायेगा।

(ख) क्रय में सामान्यतः मात्रा अनुबन्ध हेतु शासकीय नियम लागू होंगे। कम्प्यूटर क्रय हेतु तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण भी संबंधित क्रय समिति द्वारा किया जाएगा।

(ग) कम्प्यूटर क्रय केवल खुली निविदा से किया जायेगा जो कि दो भागों में - टेक्निकल बिड व फाइनेन्शियल बिड होगी और यह दोनों अलग-अलग लिफाफों में प्राप्त की जायेंगी। टेक्निकल बिड खुलने के बाद तकनीकी रूप से सक्षम पायी गई निविदाओं की फाइनेनसियल बिड खोली जायेगी।

(घ) वांछित विशेषताओं एवं शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख टेण्डर डाकूमेन्ट में किया जायेगा और टेण्डर खुलने के बाद इनमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(ङ) फाइनेन्सिल बिड खुलने के बाद कोई निगोशियशन नहीं किया जायेगा।

(च) टेंडर प्रक्रिया एवं क्रय में पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जायेगी।

(छ) यदि किसी कारण से आपूर्ति के समय में टैक्स या ड्यूटी घटती है तो आपूर्तिकर्ता द्वारा मूल्य तदनुसार घटाया जायेगा।

(ज) कम्प्यूटर क्रय हेतु एक नमूना टेण्डर डाकूमेन्ट बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की वेब साईट www.upgov.up.nic.in/infotech पर डाला जा रहा है।

10. उक्त आदेश समस्त शासकीय विभागों, शासकीय संगठनों के द्वारा किसी भी वित्तीय स्रोत से किये गये क्रय पर लागू होगा। यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं

भवदीय,

(ओ.एन. दैद)
प्रमुख सचिव

संख्या- 00(1)/78-आई.टी.-2-2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा. मुख्य मंत्री जी के प्रमुख सचिव / सचिव ।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव।
4. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त को अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष ।
6. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक / निकायों , परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
7. समस्त मण्डलायुक्त / समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स निगम लि0, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, हिलट्रान, लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनुराग श्रीवास्तव)
विशेष सचिव